REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228181 CG-DL-E-08072021-228181

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.2534]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ़ 17, 1943No.2534]NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

का.आ. 2738(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
605	139डब्ल्यू	बिहार राज्य में पटना (एम्स) के निकट रारा – 139 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर बकरपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, अरेराज को जोड़ने वाला और बेतिया के
		निकट रारा-727 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 2435(अ), दिनांकित 21 जून, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

> [फा. सं. एनएच-14012/1/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

S.O. 2738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
605		The highway starting from its junction with NH-139 near Patna (AIIMS) connecting Bakarpur, Manikpur, Sahebganj, Areraj and terminating at its junction with NH-727 near Bettiah in the State of Bihar.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2435 (E), dated 21st June, 2021.

[F. No. NH-14012/1/2021-P&M(Pt.1)] RAJESH GUPTAL, Director